प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16-03-2022

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध 05 बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-40983/सामा-1(7)/के0का0 वाराणसी/08बंदी/2021, दिनांक 30-12-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	राहुल सिंह पुत्र श्री शिवबहादुर	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	केन्द्रीय कारागार, आगरा
2	रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र श्री रामबृक्ष उर्फ प्रचण्ड सिंह	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	केन्द्रीय कारागार, बरेली प्रथम
3	राजू उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गया बक्श सिंह	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	केन्द्रीय कारागार, आगरा
4	अमित कुमार सिंह पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़
5	बालकृष्ण उर्फ बाले उर्फ सतीश उर्फ सन्तोष मिश्रा पुत्र श्री सज्जन लाल	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	जिला कारागार, फिरोजाबाद

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/आगरा/बरेली/फरूर्खाबाद/फिरोजाबाद।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आगरा/बरेली/फरूर्खाबाद/फिरोजाबाद।
5- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/जिला कारागार, आगरा/फतेहगढ़/बरेली-।/फिरोजाबाद।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in